

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Jodhpur-2021-198(GCMS2021-460) RTA225 Laldas Vs State

1. लालदास पुत्र मोहनदास
2. भंवरिया पुत्र गोराराम
3. गोपाराम पुत्र गोराराम
4. समुदेवी पत्नी भागीरथ
5. मंछादेवी पत्नी श्यामलाल
सभी निवासीगण दांतीवाडा,
तहसील व जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार जोधपुर
2. खनिज अभियन्ता,
खनिज विभाग, सर्किट हाउस
जोधपुर

रेस्पो. ...



अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दिनांक 28 अगस्त
2019 राजस्व प्रकरण संख्या 317/2019 सरकार बनाम
लालदास व अन्य

उपस्थित-

श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो.

निर्णय

दिनांक : 30 नवम्बर, 2022

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड
अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 317/2019 सरकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बनाम लालदास आदि में पारित निर्णय दिनांक 28 अगस्त 2019के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 11 फरवरी 2020 को प्रस्तुत की है। जो कमी-पूर्ति एवं मियाद के बिन्दु पर दिनांक 19 मार्च 2020 को खारिज कर दी गयी। अदालत हाजा के उक्त आदेश के खिलाफ प्रस्तुत निगरानी 2021/517 निस्तारित करते हुए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12 अक्टूबर 2021 के अनुसरण में कमी-पूर्ति कर दिये जाने से दिनांक 25 अक्टूबर 2021 को पुनः संस्थित की जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. संख्या एक द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर खातेदार अप्रार्थी-अपीलाण्ट लालदास की खातेदारी भूमि आराजी खसरा संख्या 647/1 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा संख्या 647/2 रकबा 15 बीघा चाही अक्वल वाके मौजा दांतीवाडा का अप्रार्थीगण-अपीलाण्ट्स द्वारा अकृषि प्रयोजनाथ उपयोग-उपभोग (बजरी का अवैध खनन) करना जाहिर किया और एम.एम.आर.डी. एक्ट 1957 तथा एम.एम.सी.आर. 1986 का उल्लंघन होने के कारण संबंधित प्रावधानों के तहत उक्त भूमि खातेदारी निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रकरण संस्थित किया जाकर कार्यवाही आरम्भ की गयी और मौका रिपोर्ट के अनुसार भूमि को बजरी के अवैध खनन से नुकसान पहुँचाया जाना मानते हुए दिनांक 28 अगस्त 2019 उक्त




राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए आराजी दो निर्णय (पहला प्रकरण संख्या 317/2019 सरकार बनाम लालदास आदि अंकित कर खसरा संख्या 647/2 बाबत एवं दूसरा प्रकरण संख्या 317/2019 सरकार बनात लालदास आदि अंकित कर खसरा संख्या 647/1 बाबत) पारित कर वादग्रस्त भूमि को सिवाय चक घोषित किया एवं तहसीलदार को उक्त आराजी राज्य सरकार में समायोजित किये जाने का आदेश दिया। खसरा संख्या 647/2 बाबत पारित निर्णय के खिलाफ खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स में अपील-मीमों में अंकित बिन्दुओं एवं तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट्स को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रार्थनापत्र के संबंध में पक्षकारान को नियमित वाद की भांति साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये, मगर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 177(4) को नजरअदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया और प्रार्थी-रेस्पों. की ओर से कोई साक्ष्य सबूत पेश हुए बिना ही अपीलाधीन निर्णय अपीलाण्ट्स के खिलाफ पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दिनांक 29 सितम्बर 2014 को संस्थित किया गया जिसमें अपीलाण्ट्स की ओर से दिनांक 17 अक्टूबर 2014 को वकालतनामा पेश हुआ। इसके बाद आगामी पेशी दिनांक 14 नवम्बर 2014 से पेशी दिनांक 18 अक्टूबर 2018 तक (मात्र दो पेशीयों के अतिरिक्त) मामले में पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त/अवकाश पर/दौरे पर होने आदि कारणों से पेशी इल्टवा

की जाती रही है और दिनांक 02 नवम्बर 2018 को अपीलाण्ट्स के जबाब का अवसर बन्द कर दिया गया। इसके बाद पुनः दिनांक 12 नवम्बर 2018 से 29 जुलाई 2019 तक उक्त कारणों से तारीख-पेशीयाँ इलतवा की जाती रही और दिनांक 7 अगस्त 2019 की आदेशिका में प्रार्थी की ओर से जबाब, दस्तावेज व शपथपत्र पेश होना अंकित कर आगामी पेशी दिनांक 14 अगस्त 2019 मुकर्रर कर दी गयी। इसके बाद दिनांक 28 अगस्त 2019 को अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति दर्शाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए अपीलाधीन निर्णय का समर्थन किया और कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा आलौच्य अपील झूठे, मनगढंत एवं बेबुनियाद तथ्यों पर प्रस्तुत की गयी है। यह कहना भी सही नहीं है कि अधीनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता ने अपीलाण्ट की सहमति के बिना ही अपनी उपस्थिति दर्ज करवायी थी। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाण्ट्स की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए किन्तु समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी कोई जबाब पेश नहीं किया गया। 2014(1) एसएससी 605 एवं एआईआर 2014(एससी) 1582 के संदर्भ से राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अदालत हाजा में भी पूर्व में इस संबंध में घोर लापरवाही बरतते हुए अपील प्रस्तुत की गयी। 2019(2) आरआरटी 866 उद्धरित करते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया



राजस्थान अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कि अपने अधिवक्ता से सम्पर्क बनाये रखना स्वयं मुक्किल का दायित्व होता है। राजकीय अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि लालच के अतिरेक में अपीलान्ट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग करते हुए अवैध रूप से बजरी का खनन किया है, अपीलान्ट का यह कृत्य कृषि सुधार की श्रेणी में नहीं आता है अपितु इससे भूमि का कृषि स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की ओर से कोई जबाब पेश नहीं किया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के जबाब का अवसर बंद किया गया, जो न्यायोचित है। खातेदारी की कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग-उपभोग किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्तीन निर्णय न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।


बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

आलौच्य मामले में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी-रेस्पो. की ओर से प्रार्थनापत्र आराजी खसरा संख्या 647/1 रकबा 24 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा संख्या 647/2 रकबा 15 बीघा चाही अक्वल वाके मौजा दांतीवाडा के संबंध में प्रस्तुत किया गया, मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्तीन निर्णय मात्र खसरा संख्या 647/2 बाबत ही पारित किया गया है, और खसरा संख्या 647/1 के संबंध में अन्य फैसला यही प्रकरण संख्या एवं अनवान

राजस्व अर्थात् प्राधिकारी
जोधपुर

दर्शाते हुए पारित किया गया है। जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की कार्यवाही एवं निस्तारण के संबंध में निर्धारित विधिक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है। प्रार्थनापत्र में खसरा संख्या 647/2 का रकबा 15 बीघा अंकित किया गया है, जबकि अपीलाधीन निर्णय में "... खातेदारी खेत खसरा नं. 647/2 के खातेदार द्वारा अवैध खनन कर बजरी को बेचने से लगभग 30.25 बीघा (गौरतलब है कि दशमलव के बाद अधिकतम 19 बिस्वा 19 बिस्वा का ही अंकन किया जा सकता है क्योंकि इससे अधिक होने पर एक बीघा हो जाता है) अंकित किया हुआ है। यह भी उल्लेखनीय है कि तहसीलदार जोधपुर के आदेश क्रमांक सम/2014/4612 दिनांक 08 जुलाई 2014 की अनुपालना में संयुक्त टीम द्वारा दिनांक 10 जुलाई 2014 से 15 जुलाई 2014 तक ग्राम दांतीवाडा का मौका मुआयना कर तैयार की गयी जिस मौका रिपोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय का आधार बनाया गया है, उसमें संबंधित खातेदार के मौके पर उपस्थित होने बाबत इस रिपोर्ट में कुछ भी अंकित नहीं है और न ही संबंधित खातेदार के इस रिपोर्ट पर हस्ताक्षर अथवा अंगुष्ठ निशान है।

इतना ही नहीं, अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में पेशी-दर-पेशी "आज पीठासीन अधिकारी दौरे पर है, अवकाश पर है, दीगर कार्य में व्यस्त है.. " मुद्रित रबर स्टाम्प लगायी जाकर तारीख तब्दील की गयी है और इन आदेशिकाओं पर किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। दिनांक 17 अक्टूबर 2014 की आदेशिका में अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मनोजकुमार द्वारा वकालतनामा पेश करने बाबत अण्डरटेकिंग दिया जाना अंकित किया हुआ है, किन्तु इसके



राजस्थान अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बाद उक्त वकालतनामा पेश होने अथवा पेश नहीं होने के संबंध में किसी भी आदेशिका में कुछ अंकित नहीं किया गया है।

अदालत हाजा द्वारा अपील स्तर पर तलब मौका रिपोर्ट दिनांक 24 मार्च 2022 के अंकितानुसार अपीलाधीन निर्णय के अनुसरण में वादग्रस्त आराजी बाबत राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किया जा चुका है, किन्तु संबंधित खातेदार से मौके पर भौतिक कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर लिये जाने संबंधित इन्द्राज नहीं है। नक्शा लट्ठा में तरमीम नहीं होने का भी उक्त रिपोर्ट में अंकन किया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 178(2) में प्रावधान किया गया है कि -

178. Decree or Order under Section 177 -

- (1) A decree or order under Section 177 may direct the ejection of a tenant either from the entire holding or from such portion thereof as the court, having regard to all the circumstances of the case, may direct.
- (2) Such decree or order shall further direct that if the tenant repairs the damage or pays such compensation as the court thinks fit within three months from the date of the decree or order or within such further period as the court may, for reasons to be recorded, allow the decree or order shall not be executed except in respect of costs.

जाहिर है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 178(2) के प्रावधानों की पालना नहीं की गयी है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों, संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं निर्धारित



राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

विधिक प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित किये बिना पारित किया जाना प्रकट होता है जो यथावत रखे जाने योग्य नहीं पाया जाता है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28 अगस्त 2019 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं निर्धारित विधिक प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित करते हुए अपीलाण्ट्स को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर मामले में नियमानुसार न्यायोचित निर्णय पारित किया जावे। तब तक वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजस्व रिकार्ड की आज दिनांक की स्थिति यथावत बनाये रखी जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मंगलाराम पूनिया)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

